न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

वादी गोरधन सिंह बनाम कैलाश कंवर

दावा मु.सं. 43A/2023

7/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पत्रावली बाबत जवाब/एक कापी दिनांक 12/8/23 को पेश हो
12/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पत्रावली पर दिनांक 5/8/23 को प्रस्तुत वादी प्रतिवादीगण के अनुसार 3,5 के अंतर्गत आपत्ति पेश प्रस्ताव आदेश तथा काउंटर क्लेम जवाब आदि पर एक अभिभाषक के संक्षिप्त प्रस्ताव बाबत सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/8/23 को पेश हो
20/8/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 21/8/23 को पेश हो।
21/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पत्रावली आदेश है। उभय पत्रावली का अवलोकन किया। एक पर मनन किया अतः वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व 5 के जवाब दावा तथा काउंटर क्लेम को अस्वीकार किया जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वकील प्रतिवादीगण के 1 ता 3,5 के आपत्ति आवेदन दिनांक 5/8/23 को अस्वीकार किया जाता है [illegible] स्थानीय के विरुद्ध प्रस्ताव [illegible] दावा नैतिक [illegible] दिनांक [illegible] इसके [illegible] की पत्रावली उभय पक्ष छोर पर तस्दीक डायरी डण्ट हो

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

अभिभाषक संघ, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.22 15:13:21 IST
Reason: SelfAttested